न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 102/2019

मैसर्स पटैल स्टोन केशर कोटकी तहसील भुसावर जिला भरतपुर जरिये निर्देश पुत्र भगवानसिंह जाति गुर्जर निवासी कोटकी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी बनाम पटेल स्टोन केशर मि0न0 18/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम कोटकी की आराजी खसरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नम्बर 8/3 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा ग्राम कोटकी में से 490 वर्ग मीटर पर रास्ता व आफिस पुख्ता बनाकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट का आफिस रूपान्तरित भूखण्ड में स्थापित है तथा उसी में होकर आने जाने से रास्ते की लकीरें कायम हो गई है, रास्ता बनाकर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया है, प्रार्थी का क्रेसर लघु उद्योग के उपयोग के लिये एक हैक्ट0 भूतम तक का बिना रूपान्तरित कराये कार्य में ले सकते है, इससे भूमि के अकृषि की किस्म में परिवर्तित होना नहीं माना जावेगा। रिपोर्ट पटवारी हल्का कयास के आधार पर एवं गलत है, उसकी जांच सही नहीं की गई है। पटवारी के बयान तक नहीं लिये गये है और न ही तहसीलदार ने मौके पर जाकर असलियत का पता नहीं लगाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस देकर कोई अवसर नहीं दिया गया है। सभी कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली की कार्यवाही के साथ ही विवादित भूखण्ड एवं आफिस को कब्जे राज लेकर उसे नीलाम कराने के आदेश दिये है। भूमि को कब्जेराज लेने एवं नीलामी के आदेश से पूर्व अपीलान्ट को अतिक्रमण हटाने का अवसर भी नहीं दिया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट के द्वारा जबाब पेश करने के बाद जांच करके कार्यवाही खत्म करने के लिये कहा था, इसके बाद कभी कोई कार्यवाही तहसीलदार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इससे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने यह समझा कि उनके विरूद्ध की गई बेदखली की कार्यवाही खत्म कर दी गई है परन्तु दिनांक 04.12.2019 को पटवारी हल्का ने मौखिक रूप से इस आदेश के बारे में बताया तो अपीलान्ट शीघ्रता से दिनांक 05.12.2019 को तहसील गया व उसकी जांच की तथा इसको सही पाया तो तुरन्त प्रभाव से दिनांक 05.12.2019 को ही नकल का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर नकल तैयार होकर उसी दिन प्राप्त की तब उसे पढकर असल जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा मैसर्स पटेल स्टोन केशर के आराजी खसरा नम्बर 8/3 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा ग्राम कोटकी खातेदारी भूमि में से 490 वर्ग मीटर का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजन के काम में लेने के कारण बेदखल किये जाने एवं गैर रूपान्तरण भूमि को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2072–75 आराजी खसरा नम्बर 8/3 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा ग्राम कोटकी पर भगवानसिंह पुत्री मॉगीलाल कौम गूजर सा.देह खातेदार रकवा 1.12 से 2100 वर्गमीटर केशर संपरिवर्तन स्वीकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटेल स्टोन केशर द्वारा प्रस्तुत जबाब में रूपान्तरण कराये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2016 में आ.ख.न. 8/3 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा में से 2100 वर्गमीटर का रूपान्तरण किये जाने का अंकन किया गया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 8/3 के 490 वर्गमीटर रकवे को केशर के काम में लिये जाने के संबंध में पटेल स्टोन केसर को ही सुना गया है। राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2016 के अनुसार खातेदारी भूमि पर लघु श्रेणी उद्योग एवं कजावा का एक एकड भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये काम में लिये जाने का प्रावधान है। आराजी खसरा नम्बर 8/3 ग्राम कोटकी पर रास्ता व आवास पुख्ता बनाकर उपयोग में ले रखा है, जो राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2016 के अनुसार अनुमति की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थित में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत अपीलान्ट को नहीं सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)